

(नियम 19 देखें)

निर्वाचक नामावली के प्रकाशन का नोटिस

सेवा में,


नगरपालिका परवाणु जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के वार्ड संख्या 1-9 के मतदाता।

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निर्वाचक नामावली, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के अनुसार तैयार की जा चुकी है और जिसकी प्रति मेरे कार्यालय और नगरपालिका और तहसीलदार के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो, या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी या किसी प्रविष्टि में किन्हीं विशिष्टियों के बारे में कोई आक्षेप हो, तो उसे/उन्हें जहां तक समुचित हो प्ररूप 4, 5 और 6 में, तारीख 14.10.2020 को या उससे पूर्व दाखिल किया जाएगा।


प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेप, पुनरीक्षण प्राधिकारी सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल), परवाणु (पूरा पता) को सम्बोधित किया जाएगा और इसे या तो व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए, ताकि यह/ये पूर्वोक्त तारीख के भीतर उसके पास पहुंच जाए/जाएं।


पृष्ठांकन संख्या: ERO/SLN/MC-Eln/2020-20627-32


निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
(नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत)
Dated: 3rd October, 2020

प्रतिलिपि प्रेषित है:

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, शिमला हि0प्र0 को सूचनार्थ।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सोलन हि0प्र0 को सूचनार्थ।
3. पुनरीक्षण प्राधिकारी सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल), परवाणु को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू।
4. तहसीलदार, कसौली को सूचनार्थ।
5. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परवाणु को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू।
6. जिला जन संपर्क अधिकारी, सोलन जिला सोलन को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार हेतू।




निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
(नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत)